न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः—अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.— 74/2019
जीसीएमएस आईडी : 2019/00313

हजारीराम पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर हाल नोहर जिला हनुमानगढ़

—प्रार्थी

बनाम

1. दीपाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. ताराचन्द पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—
1. श्री जितेन्द्र सोनी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री बुधराम बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

—: निर्णय :—

दिनांक : 17.11.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी हजारीराम पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर हाल नोहर जिला हनुमानगढ़ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 27 पीएस के खाता सं. 35 मु.नं. 33 प.नं. 224/287 में कि.नं. 1—2—9—10 में 4 बीघा नहरी भूमि हैं, जो प्रार्थी की खरीद की हुई हैं। इस भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। इसी मु.नं. 33 के कि.नं. 21ता25 में आम सरकारी रास्ता स्वीकृत हैं। प्रार्थी इसी मु.नं. के कि.नं. 20—21—11 में 1—1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता हैं। अतः प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन करने हेतु चक 27 पीएस के मु.नं. 33 प.नं. 224/287 के कि.नं. 20—21—11 में 1—1 बिस्वा रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध दिनांक 05.11.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 27 पीएस के मु.नं. 33 के कि.नं. 1—2—9—10 की भूमि प्रार्थी के नाम से होना स्वीकार है, व कि.नं. 21ता25 में रास्ता स्वीकृत शुदा होना स्वीकार है, जिसके द्वारा प्रार्थी अपने रकबा में आवागमन करता आ रहा हैं। प्रार्थी कि.नं. 20—21—11 में और रास्ता स्वीकृत करवा पाने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी दीपाराम के नाम की कृषि भूमि चक 27 पीएस का मु.नं. 33 के कि.नं. 20—21 में अप्रार्थी सं. 2 ताराचन्द के नाम की भूमि कि.नं. 11 प्रत्येक में 1—1 बिस्वा रास्ता चाहा गया है जबकि अप्रार्थीगण की भूमि में प्रार्थी के भाई जसवन्त राम व काशीराम पि0 नानूराम द्वारा रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर की अदालत में पेश किया था जो प्रकरण बओनवान जसवन्त राम आदि बनाम राजस्थान सरकार व ताराचन्द—दीपाराम वगैरा विविध प्रार्थना पत्र 307/2010 में न्यायालय द्वारा सभी खातेदारान की काश्त आदि की सुविधा को देखते हुए सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 05—03—2010 द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि मु.न. 33 के कि.नं. 16 व 25 की पूर्वी साइड पर एक—एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जा चुका हैं, इसलिए मु.नं. 33 में रास्ता को लेकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.03.04 14:21:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर क्रमांक/राजस्व/2019/173 दिनांक 18.02.2020 के अनुसार "मु.नं. 33 के कि. नं. 1–2–9–10 हजारी राम पुत्र नानूराम जाति मेघवाल सा. लिखमेवाला के नाम दर्ज हैं। मु.नं. 33 के कि.नं. 1–2–9–10 को जाने हेतु कोई रास्ता स्वीकृत या प्रचलित नहीं हैं। मु.नं. 33 के कि.नं. 1–2–9–10 में जाने हेतु कि.नं. 11–20–21 में प्रत्येक में 0.013है0 रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित होगा। उक्त रकबा पर किसी का स्थगन/विवाद नहीं हैं।" वकील उभयपक्ष के निवेदन करने पर मौका निरीक्षण किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपने बहस में कथन किया कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक 27 पीएस का मु.नं. 33 के कि.नं. 1–2–9–10 को जाने हेतु कोई रास्ता स्वीकृत नहीं हैं अतः इसी मुरब्बा के कि.नं. 20–21–11 में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के भाई जसवन्त राम व काशीराम पि0 नानूराम द्वारा रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर को प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा प्र.सं. 07/2007 अनवान जसवन्तराम आदि बनाम सरकार आदि में निर्णय दिनांक 05.03.2010 द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि मु.नं. 33 के कि.नं. 16–25 की पूर्वी सीमा पर एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकार किया जा चुका हैं। जिसकी चित्रप्रति भी अप्रार्थी द्वारा पेश की गयी हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के आश्य से पेश किया हैं। अतः प्रार्थना प्रार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने अपने बहस में कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2010 की अपील अप्रार्थी ताराचन्द द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.10.2015 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.03.2010 को निरस्त किया जा चुका हैं। जिसकी प्रति वकील प्रार्थी ने पेश की। अतः प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु मार्ग नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस न्यायालय द्वारा प्र.सं. 07/2007 अनवान जसवन्तराम आदि बनाम सरकार आदि अन्तर्गत जनरल कॉलोनी कण्डीसन 08(2) में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2010 द्वारा मु.नं. 33 के कि.नं. 16–25 की पूर्वी सीमा पर एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकार किया गया था जो श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय द्वारा उनके निर्णय दिनांक 29.10.2015 द्वारा अपास्त किया जा चुका हैं तथा निर्णय में "पक्षकार टीनेंसी एक्ट की धारा 251क के तहत नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं" अंकित हैं। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर अनुसार मु.नं. 33 के कि.नं. 1–2–9–10 को जाने हेतु कोई रास्ता स्वीकृत या प्रचलित नहीं हैं। चूंकि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं हैं, अतः प्रार्थी की रास्ते की आवश्यक्ता सुखाचार के लिए न होकर अत्यांतिक आवश्यक्ता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय की मत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर चक 27 पीएस के मु.नं. 33 प.नं. 224/287 के कि.नं. 20–21–11 में प्रत्येक में 0.013है0 गैर मुमकिन रास्ता स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी मुआवजा के तौर पर अप्रार्थीगण को रास्ते में आई भूमि के डीएलसी दर की दो गुणा राशि अदा करेगा। तहसीलदार रायसिंहनगर नियमानुसार प्रार्थी से मुआवजा राशि जमा कर अप्रार्थीगण को उनके हिस्सा अनुसार भुगतान करें। तथा स्वीकृतशुदा गैर.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04.03.2021 को न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.03.04 14:21:45 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner